

बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान -841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154-242099 (कार्या0)
06154-242860 (कार्या0)
06154-242098 (आवास)
06154-242348 (फैक्स)

email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी,सीवान की अध्यक्षता में दिनांक-29.07.2019 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

1.1-विधि शाखा- समीक्षा करने पर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0- / 19 बलिन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदा0/ डी0पी0ओ0 एस0एस0ए0	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है। उसे आज ही जमा करने का निदेश दिया गया।
2	एम0जे0सी0 नं0- / 19 रमेश उपाध्याय बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, दरौदा	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो रहा है। उसे 2 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
3	एम0जे0सी0 नं0- / 19 ओमप्रकाश राम बनाम बिहार राज्य	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1.2-बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :-

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-7571/19 विजेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/अंचल अधिकारी, पचरुखी	बताया गया कि इसमें जमाबंदी रद्द करने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इसके आलोक में अंतरिम कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वे निरंतर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। (अनु0-सभी जिलास्तरीय पदा0)

2-लोक शिकायत निवारण:- बताया गया कि नया साफ्टवेयर लांच हुआ है, जिसमें अभी धीमी इण्ट्री हो रही है। एक सप्ताह में स्थिति में सुधार हो जाएगा।

3-आर0टी0पी0एस0- बताया गया कि अभी कोई समस्या नहीं है।

4-विद्युत :- बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

5-बाढ़ नियंत्रण:- बताया गया कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं। सिसवन में 50 मीटर में भूमि का क्षरण हो रहा था, जिसे रोक दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि दरौली एवं सिसवन में अभी जल स्तर खतरे निशान से नीचे है और कोई गंभीर समस्या नहीं है।

6-सामान्य शाखा-

6.1-बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग- बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं	पदा0 का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई	अभ्युक्ति

		दिनांक	हेतु भेजा गया है।	
1	श्रीमती कुसुम देवी, पति- ललन भगत, थाना-भगवानपुर हाट का परिवाद पत्र	339/सा0 दि0 07.02.19	अंचल अधिकारी, भगवानपुर हाट	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	श्री रहमान मियाँ, पिता-आस मोहम्मद मियाँ	792 दिनांक 20.04.2019	प्रखण्ड विकास पदा0, बसंतपुर	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.2-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	रोपना उरावं, ग्राम-चन्दकोपी, प्रखण्ड बेरो, जिला-रांची का परिवाद पत्र	994 मु0 दि0 17.12.18	अनु0 पदाधिकारी, महाराजगंज	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.3-राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग-बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त निम्नलिखित परिवाद पत्र अनुपालन हेतु लम्बित हैं:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	श्री कामेश्वर बैठा, पिता-स्व0 मुन्नी लाल बैठा, ग्राम-पो0 बसां, थाना-बसंतपुर, जिला-सीवान के परिवाद पत्र के संबंध में।	695 दि0- 10.04.17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात करने का निदेश दिया गया।
2	श्री बन्धु साह, पिता-छतु साह, ग्राम-सोनबर्षा, थाना-दरौली, जिला-सीवान के परिवाद पत्र के संबंध में।	768 दिनांक 20.04.2019	अंचलाधिकारी, दरौली	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	श्री मुशी साह गोड़, पिता-महाजन साह, सा0 कोथुआ सारंगपुर के आवेदन पत्र के संबंध में।	1563 दिनांक 26.07.19	अंचलाधिकारी, दरौदा	दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.4-बिधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न-बताया गया कि निम्नलिखित विधान सभा/विधान परिषद/ लोक सभा प्रश्न अभी लम्बित हैं:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया	अभ्युक्ति
1	श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय सा0वि0पदा0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 आई0आर0-03	3462 दिनांक 10.12.18	अंचलाधिकारी, सीवान सदर/ पचरुखी	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय सा0वि0 सा0 द्वारा प्रज्ञप्त याचिका संख्या 46/15 के संबंध में	1038 दिनांक 06.06.19	उप विकास आयुक्त सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0सा0वि0सा0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं0 1960/18 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1353 दिनांक- 02. 07.19	उप विकास आयुक्त, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
4	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0सा0वि0सा0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं0 1939/18 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1354 दिनांक- 02. 07.19	उप विकास आयुक्त, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

5	अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना वर्ष 1981-82 के अंतर्गत बिहार के सभी जिला में नियुक्त कर्मियों की अनियमित सेवा सम्पुष्टि की जाँच के संबंध में।	2883 दिनांक 22.10.18	जिला स्थापना उप समाहर्ता	स्थापना उप समाहर्ता को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
6	श्री रामचन्द्र पूर्वे, माननीय स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला ताराकित चरन सं0-आर-21 के संबंध में।	1526 दिनांक 19.07.19	अपर समाहर्ता, सीवान	अपर समाहर्ता को तुरंत उत्तर भेजने का निदेश दिया गया।
7	प्रो0 नवल किशोर यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचितप्रश्न सं0 आर-6 के संबंध में।	1503 दिनांक 16.07.19	अपर समाहर्ता, सीवान	अपर समाहर्ता को तुरंत उत्तर भेजने का निदेश दिया गया।

6.5-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग:- बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से सम्बंधित निम्नलिखित मामले लंबित है, जिसके लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	दि0 25.10.18 को उपद्रवियों के उपद्रव से आवेदक के निजी नाद, खूटा एवं दूकान को तोड़-फोड़ करना तथा आग लगाने के सम्बंध में री नूर आलम, पे0 गुलाम मुस्तफा सा0 पसनौली गगन, थाना-महाराजगंज का आवेदन पत्र	1056 दिनांक- 31.05.17	थानाध्यक्ष, महाराज गंज	पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना विफल करते हुए असामाजिक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट एवं लूटपाट करने संबंध में अजहर अली, ग्राम-खानपुर का आवेदन	1094 दिनांक- 21.05.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
3	मो0 शमीम अख्तर, पूर्व अवर सचिव, गृह विभाग को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	470 दिनांक- 03.03.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	

6.6-लोकायुक्त, बिहार- बताया गया कि लोकायुक्त, बिहार से संबंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	परिवाद सं0-2/लोक (राजस्व) 59/2010 में दर्ज वाद माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक-07.01.19 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक- 31.03.19 तक के सभी सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों के बकाए सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान एवं पेंशन अदालत लगाने के संबंध में।	760 दिनांक 18.04.19	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	परिवाद सं0-1/लोक (शिक्षा) 18/2016 सीवान जिलान्तर्गत धरीक्षण चौधरी इण्टर कॉलेज, बड़हरिया में वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोषाक राशि के गबन एवं घोटाला की जाँच के संबंध में	735 दिनांक 15.04.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान /जिला शिक्षा पदा0/ जिला नीलाम पत्र पदा0 /थानाध्यक्ष, बड़हरिया	स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
3	श्री बैद्यनाथ साह सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, समाहरणालय, सीवान के प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के संबंध में।	921 दिनांक 28.05.19	अपर समाहर्ता, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

इन मामलों की समीक्षा के उपरान्त इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि प्रत्येक बैठक में स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा वांछित प्रतिवेदन भेजने में पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा एवं प्रधान लिपिक, जिला सामान्य शाखा को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों की बैठक में उनसे सम्बंधित मामलों को रखने का निदेश दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु निदेश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदा०, जिला सामान्य शाखा/सभी संबंधित पदा०)

8-विविध:-

8.1- बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से प्राप्त दस्तावेज को नीचे अंकित पदाधिकारियों को जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है,लेकिन अभी तक पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है:-

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	जाँच हेतु भेजे गए कुल दस्तावेजों की सं०	सत्यापन के बाद विभाग द्वारा भेजे गए कुल दस्तावेजों की सं०	विभिन्न कार्यालयों में लंबित दस्तावेजों की सं०
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	285	244	41
2	कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद	55	43	12
3	जिला अवर निबंधक,सीवान	51	47	04
4	अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर	143	131	12
5	कार्यपालक दण्डाधिकारी,महाराजगंज	10	0	10
6	कार्य०पदा०, नगर पंचायत,मैरवा	5	4	1
7	अनुमण्डल पदाधिकारी,महाराजगंज	7	0	7

बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से संबंधित अनुपलब्ध दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग को स्मार पत्र भी भेजा गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को विभाग में बात कर एवं विशेषदूत भेजकर अनुपलब्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने का निदेश दिया गया।(अनु०-प्र० पदा०, जि० सामान्य शा०)

8.2-सी०एम०डैश बोर्ड- बताया गया कि सी०एम० डैश बोर्ड से सम्बंधित प्राप्त 81 परिवादों को संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है,जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

जाँच से सम्बंधित पत्र

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	जाँच हेतु भेजे गए कुल पत्रों की सं०	जाँच के बाद भेजे गए प्रतिवेदन की सं०	लंबित मामलों की सं०
1	अपर समाहर्ता,सीवान	33	00	33
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सीवान	03	00	03
3	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीवान	01	00	02
4	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत,सीवान	01	00	01
5	जिला अवर निबंधक,सीवान	02	00	02
6	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी० एस०,सीवान	01	00	01
7	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा, सीवान	01	00	01
8	डी०पी०ओ० प्लानिंग,सीवान	01	00	01
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी,सीवान	02	00	02
10	उप विकास आयुक्त,सीवान	09	00	09
11	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सीवान	09	00	09
12	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	07	00	07
13	जिला कृषि पदाधिकारी,सीवान	04	00	04
14	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान	06	00	06
15	स्थापना उप समाहर्ता,सीवान	01	00	01

प्रश्न से सम्बंधित मामले

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र भेजा गया	प्रश्न हेतु भेजे गए कुल मामलों की सं०	भेजे गए उत्तर की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	मुख्य कार्यपालक पदा०, जिला परिषद, सीवान	01	00	01

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सी०एम० डेश बोर्ड से संबंधित परिवादों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराएँ।

8.3—सेवान्त लाभ:— सीवान जिला में सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

Sr. No.	OFFICE NAME IN CFMS SOFTWARE	DEPARTMENT	REPORT RECEIVED	REPORT PENDING	PENDING RETIREMENT BENEFIT
1	DIET SIWAN			Pending	
2	PTEC SIWAN			Pending	
3	PHC MAHARAJGANJ SIWAN			Pending	
4	DISTRICT PROBATION OFFICE SIWAN			Pending	
5	DIC SIWAN			Pending	
6	PHED DIVISION SIWAN			Pending	
7	DDC-COM CEO ZILA PARISHAD SIWAN			Pending	
8	RWD WORKS DIVISION MAHARAJGNJ			Pending	
9	GOVT POLYTECHNIC SIWAN			Pending	
10	GOVT ENGINEERING COLLEGE SIWAN			Pending	
11	CDPO OFFICE HASANPURA SIWAN			Pending	
12	ASSISTANT DIRECTOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES SIWAN			Pending	
13	NAGAR PANCHYAT MAHARAJGNAJ			Pending	

स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि उपर्युक्त कार्यालयों से सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त द्वारा निरंतर इसकी समीक्षा की जा रही है और उनके द्वारा दिनांक-30.06.19 तक सेवानिवृत्त हुए सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को दिनांक-31.07.19 तक सेवान्त लाभ का भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यालय के कर्मियों का सेवान्त लाभ से संबंधित कलेण्डर बनाने का निदेश दिया गया। (अनु०-सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सीवान)

8.4—बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा मध्य निषेध से संबंधित शपथ दिलाई गई।

8.5—बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि जिला के माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक-03.08.19 को 11.30 बजे पूर्वा० से समाहरणालय सभा कक्ष में विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही वे अपने विभाग से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी के साथ दिनांक-30.07.19 को 3 बजे अप० में उप विकास आयुक्त, सीवान के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। (अनु०-सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी)

8.6—जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को जीरादेई एवं फरीदपुर में तोरणद्वार के निर्माण का प्रस्ताव मंगा कर अविलम्ब संचिका में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, सीवान)

8.7- अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पथों की शीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें आवागमन लाएक बनाने एवं अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनु०-पथ निर्माण से संबंधित सभी कार्यपालक अभियन्ता)

8.8-आयुष्मान भारत योजना:-बैठक में पावर प्वाइण्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आयुष्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रु० तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सीवान जिला में अबतक 650 व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। समीक्षा करने पर पाया गया कि सीवान जिला में अबतक 25,000 गोल्डेन कार्ड ही निर्गत हो पाया है। यह संख्या काफी कम है। इसके प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान देने एवं शिक्षा विभाग, जनवितरण प्रणाली बिक्रेता, आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका/ सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं ए०एन०एम० को शामिल करने का निदेश दिया गया ताकि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सके। प्रत्येक सप्ताह में इसकी प्रगति की समीक्षा करने का भी निदेश दिया गया। (अनु०-सिविल सर्जन,सीवान/जिला प्रबंधक,जिला स्वास्थ्य सुरक्षा समिति,सीवान)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Rw
30.7.19

30.07.19
जिला पदाधिकारी,
सीवान

ज्ञाप सं०-1985/सी० दिनांक- 30 वीं जुलाई, 2019 ई०

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक,सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई०टी० मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rw
30.7.19

30.07.19
जिला पदाधिकारी,
सीवान